(ख) और (ग) अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 पुल निर्माणाधीन हैं। तथापि छोटे से छोटे रूट द्वारा मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निरस्त्रीकरण में सफलता

1516. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विश्व में निरस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किये हैं और अब तक इस बारे में क्या सफलता मिली है और कौन-कौन से देश निरस्त्रीकरण की नीति में भारत के साथ हैं;

(ख) क्या भविष्य में विश्व में निरस्त्रीकरण स्थापित करने के लिए कुछ देश सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं; यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) विश्व में निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) निरस्त्रीकरण के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशों में द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर और बहुपक्षीय मंचों पर भी सरकार ने भरसक प्रयास किया हैं। एक नाभिकीय अस्त्र मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था के लिए कार्य योजना हाल ही में की गई हमारी सबसे महत्वपूर्ण पहल कदमी थी जिसे 9 जून 1988 को प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद निरस्त्रीकरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। भारत द्वारा प्रस्तुत की गई इस कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2010 तक नाभिकीय हथियारों को पूर्णरूप से समाप्त करने का आह्वान किया गया था। किसी अंतिम दस्तावेज पर कोई सर्व-सम्मति नहीं हो सकी। सभी प्रस्ताव जिनमें हमारी कार्ययोजना भी शामिल है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पहल पर विशेष अधिवेशन की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया था। इस प्रकार यह कार्य-योजना संयुक्त राष्ट्र के एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही में सम्पन्न 43वें अधिवेशन में नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग न किये जाने से संबद्ध प्रस्ताव के अतिरिक्त भारत ने "अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकासों का प्रभाव संबंधी एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार किया गया तथा इस प्रस्ताव में महासचिव से अनुरोध किया गया कि वे अर्हता प्राप्त विशेषज्ञों की सहायता से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति विशेषकर सैन्य क्षमता वाली उपयोगों की प्रगति का अध्ययन करें। तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें और महासभा के अगले अधिवेशन में इस विषय पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ख) निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुत से देश संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के भीतर और अर्जेन्टिना, ग्रीस, मेक्सिको, स्वीडन और तंजानिया के साथ मिलकर छह राष्ट्रों की पहल के अंग रूप में इस प्रकार से प्रयास कर रहा है।

(ग) निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा एक महत्वपूर्ण विचार-विमर्श निकाय है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो उस समय संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध मामलों पर बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। महासभा की विभिन्न समितियों और कार्य दल जिनमें विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन से संबद्ध तदर्थ समिति तथा महासागर संबंधी तदर्थ समिति भी शमिल है, इस समय निरस्त्रीकरण संबन्धी मामलों की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। जेनेवा में निरस्त्रीकरण से संबद्ध 40 सदस्य सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के भीतर एव एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंच है। निरस्त्रीकरण वे संबंध में सूचना देने, शिक्षित करने तथा सार्वजनिव समझबूझ जागृत करने और इसके लिए समर्थन जुटा की विशिष्ट भूमिका विश्व निरस्त्रीकरण अभियान द्वारा व जा रही है जिसकी शुरुआत 1982 में संयुक्त रा महासभा के निरस्त्रीकरण से संबद्ध द्वितीय विशे अधिवेशन में की गयी थी।

Teachers deprived of the benefits admiss ible under F.R. 22-C

1517. SHRI ISH DUTT YADAV: Wi the Minister of HUMAN RESOURCI

DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that members of teaching and non-teaching staff of the Kendriya Vidyalaya Sangathan when promoted to a higher post and granted selection grade in the lower post with retrospective effect, are deprived of the benefits admissible under 22-C; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI). (a) and (b) Yes Sir.

This is as per Government of India letter No.11014/26/12-UT.1 dated 11.10.1972 extract of which reproduced below :—

"A person who has been allowed a lien in the Selection Grade can be allowed only the protection of the higher substantive pay accruing to him in the Selection Grade if the pay drawn by him in the higher officiating grade happens to be lower but he cannot have the benefit of refixation of pay under the normal F.Rs., namely. F.R. 22-C afresh consequent on his notional appointment in the Selection Grade of the lower grade."

Surplus yoga teachers in Kendriya Vidyalayas

1518. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the details of Yoga teachers who have been rendered surplus in the Jaipur Region of Kendriya Vidyalaya Sangathan and in Kendriya Vidyalaya, Bhutan during the current academic session;

(b) what are the details of places where they were posted on being rendered surplus;

(c) what is the number of additional, temporary and supernumerary posts of Yoga Teachers which were created during the said period for the surplus Yoga Teachers in Jaipur Region and in Bhutan; and

(d) what are the details of posts of Yoga teachers rendered surplus in Kendriya Vidyalayas of Agra and Mathura as also those adjusted against some non-yoga teachers posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) and (b) No Yoga teacher has been rendered surplus in Jaipur Region and Kendriya Vidyalaya, Bhutan during the current academic session.

(c) Does not arise.

(d) Assistant Commissioner, Jaipur Region has been authorised to transfer requisite number of vacant posts of Yoga terachers to Kendriya Vidyalayas in Agra and Mathura for the adjustment of five surplus Yoga teachers in these Kendriya Vidyalayas.

Amendment of Rules for the post of Assistant Commissioner of Kendriya Vidyalaya Sangathan

1519. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the details of Recuritment Rules for the post of Assistant Commissioner (Admn.) of Kendriya Vidyalaya Sangathan at the time of appointment of the first incumbent;

(b) whether it is a fact that there is a recent move to amend the said Rules; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION